## कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. केनाल डिविजन धामनोद जिला धार (म.प्र.) पत्र क्र. :-**2333**/कार्य/BMLIP/F.C./2022

धामनोद, दिनांक 86.9,22

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, धार (म.प्र.)

विषय :--

संदर्भ :--

जिला धार के अंतर्गत बदनावर सूक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 35.00 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग धामनोद, जिला धार को उपयोग पर देने बाबत्।

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPR021/2022-BHO दिनांक 17.08.2022. 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष—भू प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ—3/ 97/2022/10—11/8/2949 भोपाल दिनांक 24.08.2022.

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बदनावर माईक्रो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के निर्माण हेतु 35 हे. वनभूमि कार्यपालन यंत्री ओ.एस.पी. नहर संभाग धामनोद जिला धार को उपयोग पर देने बाबद प्रस्ताव में वाछित जानकारी/ स्पष्टिकरण चाहे गए है। संदर्भित पत्र के बिन्दुवार जानकारी / अभिलेख संलग्न कर प्रेषित है।

उपरोक्त जानकारी प्रस्ताव के भाग-एक में भी अपलोड कर दी गई है तथा KML फाईल पेनड्राईव में संलग्न है। बिन्दु क्रमांक 7 व 9 की जानकारी वनमण्डलाधिकारी धार से संबंधित है। प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः - उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. केनाल डिविजन धामनोद जिला धार

पत्र क. :- 2339 / कार्य / BMLIP / F.C. / 2022

धामनोद, दिनांक : 06,09.22

प्रतिलिपि :--

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष—भू प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक इन्दौर वृत्त इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3. मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएँ, इन्दौर की ओर उनके पत्र क्रमांक 177530/बदनावर/ कार्य/3279 दिनांक 25.08.2022 के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित। 4. अधीक्षण यंत्री, नर्मदा विकास मण्डल क्रमांक-10, धार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री. ओ.एस.पी. केनाल डिविजन धामनोद जिला धार

## भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्र. 6-एमपीआर 021/2022 बीएचओ दिनांक

## 17.08.2022 के बिन्दुओं पर प्रतिवेदन

क्र.	बिन्दू	
1		प्रतिवेदन
	No objection certificates of concerned departments (Railway, Road etc) shall be submitted.	1 व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि में कोई रेलवे लाईन एवं राष्ट्रीकृत रोड नहीं है। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री का प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan need to be submitted.	
3	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाईप लाईन भूमि के अंदर (अण्डरग्राउण्ड) बिछाई जाएगी। अतः इसमें कम मात्रा में मक प्राप्त होगी जो व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के कार्यक्षेत्र में निरीक्षण पथ मार्ग एवं अन्य कार्यों के उपयोग में लाई जाएगी।
4	Administrative approval/ sanction letter of the project needs to be provided.	न लाइ जाएगा। प्रोजेक्ट की प्रशासनिक स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन नर्मदा घाटी विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 31–11/2018/सत्ताईस-एक दिनांक 07 अगस्त 2018 से जारी की गई है। जिसकी प्रति संलग्न है।
5	KML file of full alignment needs to be submitted	संपूर्ण प्रोजेक्ट के अलाईनमेंट की KML अलग
6	Cost benefit analysis needs to be submitted.	से पेनड्राईव में संलग्न है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रपोजल के पार्ट 1 के G नंबर पर अपलोड किया गया है। पुनः प्रति संलग्न है।
7	Justification for location of the project in forest land (countersigned by DFO) needs. to be submitted. Since huge tree felling is involved, DFO needs to revisit the area and suggest alteration in consultation with 1/A, so as to reduce tree felling.	वनमण्डलाधिकारी धार से संबंधित है।
8	Toposheet map of CA area needs to be uploaded on web portal.	वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का टोपोशीट मेप संलग्न है एवं वेब पोर्टल में भी अपलोड किया गया है।
9	The proposed CA area seems rocky. This CA area needs revisit.	वनमण्डलाधिकारी धार से संबंधित है।
10	Details of Alternative alignments need to be provided in KML file and also on toposheets.	अल्टरनेटिव अलाईनमेंट की KML फाईल पेनड्राईव में संलग्न है एवं टोपोशीट मेप पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

संलग्नः - उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. केनाल डिविजन धामनोद जिला धार